वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 14.12.2023 का कार्यवृत्त

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून की 22वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 को समय प्रातः 11.30 बजे से विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01	प्रो0 ओंकार सिंह , कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री सुधीर कुमार सिंह, अपर सचिव ,न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री ब्योमकेश दूबे, उप–सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
04	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उपसचिव वित्त ,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री श्रीप्रकाश तिवारी उपसचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
06	डॉ0 डी0 पी0 गैरोला, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
07	श्रीमती मीना तिवारी, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
08	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	आमंत्रित सदस्य
09	डॉ0 वी0 के0 पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	आमंत्रित सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय
बिन्दु संख्या 01	विश्वविद्यालय के सभी परिसर संस्थानों के निदेशक के लिये शासकीय आवास सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में निदेशक हेतु किराये पर एक सुसज्जित आवास की व्यवस्था इस प्रतिबंध के साथ की जानी प्रस्तावित है कि सम्बन्धित के नाम कोई अन्य शासकीय/विभागीय आवास आवंटित न हो । इस हेतु मासिक किराये के रूप रू0 12000/– से रू0 15000/– की सीमा निर्धारण किया जा सकता है। उक्त आवास उपलब्ध कराये जाने की स्थति में निदेशक को	परिसर संस्थानों में नियुक्त निदेशक को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराय जाने के दृष्टिगत मासिक किराये पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा, शासनादेश संख्या 55(1)XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15.02.2019 को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुए लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त शासनादेश में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा किराये पर सुसज्जित आवास लेकर निदेशक को उपलब्ध कराया जा सकता है। । साथ ही समिति द्वारा प्रत्येक परिसर संस्थान में निदेशक आवास

	वेतन के साथ मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।		निर्माण कराये जाने हेतु शासन स्तर से नियमानुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाने की अपेक्षा की गई।
बिन्दु संख्या 02	विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान हेतु, जहां पर पूर्व से वाहन उपलब्ध नहीं है, वहां संस्थान के प्रयोग हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 212/IX-1/2016/2011/2013 दिनांक 17.02.2023 की शर्तानुसार आउटसोर्स के आधार पर श्रेणी D-E के मानक के अनुरूप एवं स्थानीय यात्रा हेतु डीजल वाहन की स्थिति में 120 लीटर प्रतिमाह तथा पेट्रोल वाहन हेतु 140 लीटर की सीमा भी निर्धारित करते हुये वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	परिसर संस्थानों में सुचारू संचालन हेतु विभिन्न शासकीय कार्यो में सुगमता प्रदान किये जाने हेतु शासनादेशानुसार वाहन सुविधा अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ।	इस प्रस्ताव के क्रम में वित्त नियंत्रक द्वारा मन्तव्य प्रकट किया गया कि नई वाहन नीति के अनुरूप वाहन क्रय के स्थान पर किराये पर वाहन लिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। परन्तु चर्चा उपरांत पूर्व 14वीं वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या 16 (03) पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में सम्बन्धित संस्थान निदेशकों हेतु संस्थान निधि से महिन्द्रा बोलेरो (बैस मॉडल) वाहन **Gem** पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु संस्थान वाहन के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया एवं पूर्व के अनुमोदनानुसार लोकल में अधिकतम 140 लीटर ईंधन की खपत किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या 03	उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार राज्य सेक्टर तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनुदान प्राप्त करने हेतु पृथक–पृथक एस0 एन0 ए0 खाता खोले जाने के क्रम में विश्वविद्यालय एस0एन0ए0 खाता आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में खोले जाने व सावधी जमा हेतु Utkarsh Small Finance Bank में जीरों बैलेंस पर खाता खोले जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	शासकीय ग्रान्ट प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से एस0एन0ए0 खाते खोले जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु संख्या 04	विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान निदेशक की मांग के क्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम – 2019 के अनुपालन में नियमित निदेशक को संस्थान में योगदान की तिथि से विशेष भत्ता रू0 6750/– प्रतिमाह का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम – 2019 के अनुपालन में नियमित निदेशक को संस्थान में योगदान की तिथि से विशेष भत्ता रू0 6750/– प्रतिमाह का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम – 2019 के प्राविधानों के अनुपालन में नियमित निदेशक को संस्थान में योगदान की तिथि से विशेष भत्ता रू0 6750/– प्रतिमाह का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु संख्या 05	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय में	वाहन चालक द्वारा संस्थान समयावधि से पूर्व एवं पश्चात एवं सरकारी अवकाश अवधि में भी	वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय के 06 परिसर संस्थानों के लिये सुविचारित